परिचय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सार्वजनिक उपक्रम) में राज्य सरकार की कम्पनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को संचालन के लिए की जाती हैं तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2019 तक, राजस्थान में 43 उपक्रम थे, जिनमें तीन[1] सांविधिक निगम एवं 40 सरकारी कम्पनियां (जिनमें तीन[2] अकार्यरत सरकारी कम्पनियां[3] सम्मिलित हैं) जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत थी। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

2 30 सितंबर 2019 को नवीनतम लेखों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 1: प्रतिवेदन में सम्मिलित सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति

सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदन अवधि[4] के दौरान प्राप्त हुए				सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 30 सितम्बर 2019 को बकाया (कुल बकाया लेखे) थे
		2018-19 तक के लेखे	2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कम्पनियां[5]	37	23	8	2[6]	33	14 (20)
सांविधिक निगम	3	2	1	-	3	1 (1)
कुल कार्यरत उपक्रम	**40**	**25**	**9**	**2**	**36**	**15 (21)**
अकार्यरत सरकारी कम्पनियां	3	-	2	1[7]	3	3 (6)
कुल	**43**	**25**	**11**	**3**	**39**	**18 (27)**

कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने 30 सितंबर 2019 को अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 75179.32 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 (₹ 929124 करोड़) के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 8.09 प्रतिशत के बराबर था।

---

1 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम।

2 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड।

3 अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रम वे हैं जो अपने व्यवसायिक संचालनों का समापन कर चुके हैं।

4 अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक।

5 सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में संदर्भित अन्य कम्पनियां शामिल हैं।

6 इसमें एक लेखे वर्ष 2015-16 के समिलित है।

7 इसमें एक लेखे वर्ष 2014-15 के समिलित है।

कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 2458.23 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मार्च 2019 को सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग एक लाख कर्मचारी कार्यरत थे।

तीन अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें पूंजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋण (₹ 16.27 करोड़) के रूप में ₹ 28.04 करोड़ का निवेश था, ने गत तीन से 19 वर्षों की अवधि में अपने संचालनों को बंद कर दिया था। यह एक गंभीर विषय है क्योंकि अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में किया गया निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करता है।

जवाबदेयता संरचना

3 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के सम्बन्धित प्रावधानों के द्वारा शासित होती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो, तथा इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो कि ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य कम्पनी[8] जोकि केंद्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से, स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित है, को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंर्तगत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जाती है। अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि में की जानी चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 139 (7) प्रावधान करती है कि सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के प्रकरण में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिनों में की जानी चाहिए एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के प्रकरण में सीएजी, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना जांच करवा सकते हैं तथा नमूना जांच के प्रतिवेदन पर सीएजी का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होगें। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केंद्र

8 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय- (कठिनाइयों को हटाना) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014।

सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4 सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। यह वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों में सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।
सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता

5 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना होता है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई टिप्पणी अथवा पूरक के साथ सदन अथवा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाएगी। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह क्रियाविधि राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए लोक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

अधिनियम 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करनी होती है। यह भी निर्दिष्ट है कि एक एजीएम से अगली एजीएम की दिनांक के बीच 15 महीने से अधिक व्यतीत नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 129 यह निर्दिष्ट करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 129 (7) में अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की अवज्ञा के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर शास्ति लगाये जाने एवं कारावास का प्रावधान है।

सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

6 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। निदेशक मंडल के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों के मामले में, जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी का (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश

7 राजस्थान सरकार (जीओआर) की सार्वजनिक उपक्रमों में महत्वपूर्ण वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार की है:

- **शेयर पूंजी एवं ऋण** - शेयर पूंजी योगदान के अतिरिक्त, जीओआर समय-समय पर सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** - जीओआर सार्वजनिक उपक्रमों को आवश्यकता के अनुसार अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करता है।
- **गारंटी** - जीओआर वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुर्नभुगतान की गारंटी भी देता है।

8 31 मार्च 2019 को सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: सार्वजनिक उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश[9] (₹ करोड़ में)		
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा	15	-	-	-	15	45700.40	66077.98	111778.38
वित्त	3	-	1	-	4	303.75	302.22	605.97
सेवा	8	1	2	-	11	2434.50	2594.67	5029.17
ढांचागत	4	-	-	-	4	359.86	4300.35	4660.21
अन्य	7	2	-	-	9	491.76	1701.29	2193.05
योग	**37**	**3**	**3**	**-**	**43**	**49290.27**	**74976.51**	**124266.78**

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

9 निवेशों में पूंजी एवं दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान किये गये ₹ 23114.62 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 19974.86 करोड़ (86.42 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ।

9 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए गत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्ष के अंत में निवेश नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: सार्वजनिक उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

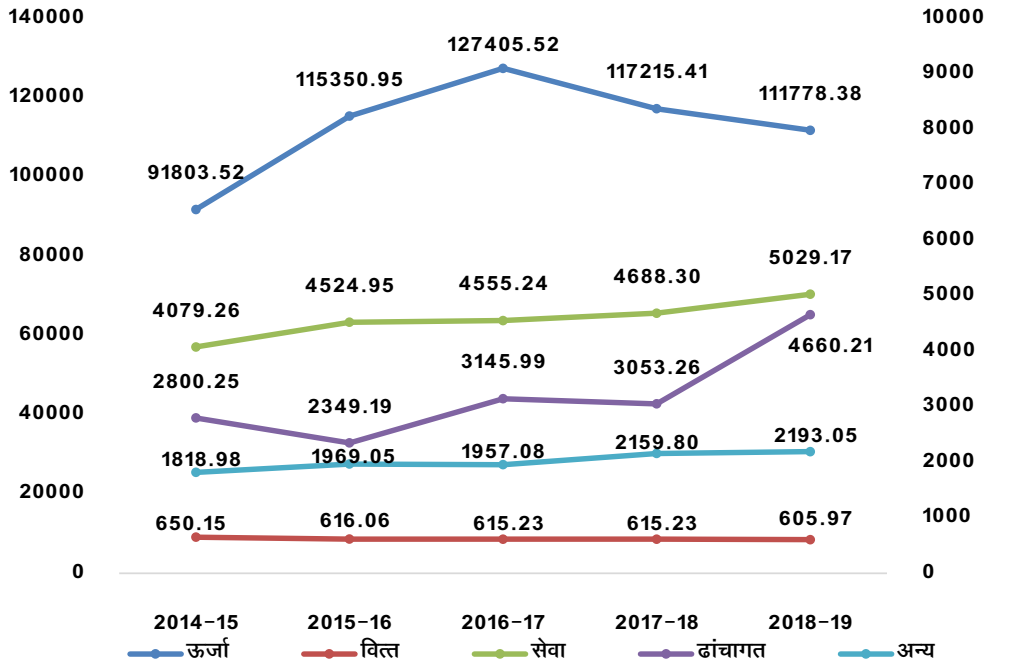

ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग I[10] में ऊर्जा क्षेत्र के 15 सार्वजनिक उपक्रमों एवं प्रतिवेदन के भाग II[11] में 28 सार्वजनिक उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र

10 कुल 43 उपक्रमों में से 32 उपक्रमों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), जो कि पहले महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) था, को सुपुर्द है जबकि 11 उपक्रमों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), जो कि पहले प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान था, को सुपुर्द

10 भाग I में अध्याय-I (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप) एवं अध्याय-II (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप) सम्मिलित हैं।

11 भाग II में अध्याय-III {राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों के कार्यकलाप}, अध्याय-IV {राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा} एवं अध्याय-V {राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप} सम्मिलित हैं।

है। वर्ष 2018-19 के दौरान, इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 32 उपक्रमों की 1067 इकाईयां थी। समस्त उपक्रमों की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, 248 इकाईयों का चयन अनुपालना लेखापरीक्षा हेतु किया गया था।